दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.**387**/फ्लाई लीफ/**06/2024.**

फ्लाई लीफ सं. 06/2024

ध्यान दें............**सर्व संबंधित**

ट्रॉली कार्यचालन

ट्रॉली, लॉरी और मोटर ट्रॉली (सा.व स.नि. 15.18)

1. वाहन जिसे चार व्यक्तियों द्वारा लाइन से उठाया जा सके, उसे ट्रॉली माना जाएगा और उसी प्रकार के कोई भी समान किन्तु भारी वाहन को लॉरी माना जाएगा.
2. कोई भी ट्रॉली जो मोटर के माध्यम से स्व-चालित(सेल्फ प्रोपेल्ड) होती है, वह मोटर ट्रॉली होती है.
3. पुश ट्रॉलियों और लॉरियों को हमेशा धकेला जाएगा और कभी भी खींचा नहीं जाएगा.
4. साइकिल ट्रालियों या ट्रालियों को धकेलने के बजाय पैडल से चलाया जाता है और मोपेड ट्रालियों को मोटर से या पैडल से चलाया जा सकता है. आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धकेला जा सकता है,लेकिन खींचा नहीं जा सकता है..
5. साइकिल ट्रालियों और मोपेड ट्रालियों को सभी संदर्भों में पुश ट्रालियां ही माना जाएगा.
6. पुश ट्रालियों/मोटर ट्रालियों पर कम से कम चार ट्रॉली मैन तैनात रहेंगे
7. लॉरियों पर झंडीवाले को छोड़कर कम से कम छह लॉरी मैन तैनात रहेगें.
8. साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली पर पैडल मारने या चलाने वाले व्यक्ति को मिलाकर तीन व्यक्ति होंगे,
9. तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या.
    i. पुश ट्रॉली - बड़ी लाइन पर दस
    ii. साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली – पांच से अधिक नहीं
    iii. मोटर ट्रॉली – बड़ी लाइन पर दस

मोटर ट्रॉली का कार्य चालन (सा.नि.15.25)

1. कोई भी पदाधिकारी मोटर ट्राली लाइन पर तब तक नहीं रख सकता है, जब तक कि उनके पास सक्षमता प्रमाण-पत्र न हो. इंजीनियरी,कर्षण वितरण, सिगनल व दूरसंचार, परिचालन और वाणिज्य विभाग के अधिकारी और इन विभागों के ऐसे प्राधिकृत निरीक्षकों और मोटर ट्राली चालकों को मोटर ट्रालियों को चलाने की अनुमति है,बशर्ते कि वे नीचे उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सक्षम प्रमाणित हों :-

जारी करने वाले प्राधिकृत स्टाफ अधिकारी की कोटि	सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
मंडल के ग्रुप "सी" कर्मचारी	वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी
मंडल के अधिकारी	मंडल रेल प्रबंधक
रेलवे के मुख्यालयों के अधिकारी ((उप/विभागाध्यक्ष और उससे ऊपर के पदों को छोड़कर))	प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

2. पहली बार सक्षमता प्रमाण-पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा, जब कर्मचारी या अधिकारी द्वारा मोटर ट्रालियों से संबंधित नियमों तथा संबद्ध साधारण व सहायक नियमों और ब्लाक संचालन नियमावली के नियमों के संबंध में लिखित परीक्षा दी जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें उपयुक्त पाया जाएगा.
3. मोटर ट्राली हमेशा ब्लॉक संरक्षण के अंतर्गत ही चलाई जाएगी और इसे गाड़ी की तरह ही माना जाएगा और सिगनल दिया जाएगा. इसे स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना किसी भी लाइन पर नहीं रखा जाएगा. मोटर ट्रॉली दिन के दौरान स्पष्ट रोशनी में ही किसी गाड़ी या किसी अन्य मोटर ट्रॉली का पीछा कर सकती है.
4. स्टेशन मास्टर को किसी भी प्राधिकृत संचार माध्यम पर गाड़ी की तरह लाइन क्लियर प्राप्त करना होगा.
5. आईबी सेक्शन पर दोनों (आईबी + एक्सल काउंटर) सेक्शनों को एक ब्लॉक सेक्शन के रूप में माना जाए.
6. इकहरी लाइन – टोकन रहित तथा दोहरी लाइन : एटीपी टी/ए.1525 है.
7. संबंधित फ्री स्टार्टर्स को हटाया जा सकता है. प्लंजर पर 'ट्रॉली ऑन लाइन' कैप लगाएं.

8. दोहरी लाइन पर, ब्लॉक हैंडल को टीओएल स्थिति में घुमाएं तथा कम्युटेटर पर "ट्रॉली ऑन लाइन" कैप लगाएं.
9. आगमन पर मोटर ट्रॉली के प्रभारी, प्राधिकरण पर समय और दिनांक के साथ हस्ताक्षर करेगें और पृष्ठांकन के साथ स्टेशन मास्टर को सौंपेगें. प्राधिकरण को स्टेशन डायरी में चिपकाया जाएगा.
10. पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को क्लियरेन्स की सूचना प्राइवेट नंबर सहित दी जाए.
11. गाड़ी सिगनल रजिस्टर (टीएसआर) में सभी प्रविष्टियां लाल स्याही से की जाएं.

गाड़ी/अन्य मोटर ट्राली के पीछे मोटर ट्राली जाने की कार्यविधि :-

1. मोटर ट्राली/ट्रालियों को किसी गाड़ी/मोटर ट्राली के पीछे जाने की अनुमति केवल दिन के समय और साफ मौसम में ही दी जाए.
2. गाड़ी /प्रथम मोटर ट्रॉली को सामान्य प्राधिकार पर आगे बढ़ने के लिए भेजा जाएगा.
3. स्टेशन मास्टर को संदेश द्वारा पहले से सूचित करें तथा प्राईवेट नंबर समर्थन के साथ उनकी अनुमति प्राप्त करें.
4. दूसरी और उसके बाद आने वाली मोटर ट्रॉली को टी/1525 पर भेजा जाएगा.
5. प्रत्येक अनुवर्ती मोटर ट्रॉली के लिए अलग से रिपोर्ट दी जाएगी तथा टीएसआर में प्रविष्टि की जाएगी.
6. ऐसा सेक्शन जहां आईबी उपलब्ध हो, वहां दोनों (आईबी + एक्सल काउंटर) सेक्शनों को एक सेक्शन के रूप में माना जाए.
7. अंतिम चलने वाली मोटर ट्रॉली को उस गाडी/मोटर ट्रॉली का अंतिम वाहन माना जाएगा, जिसके पीछे वह चल रही है.
8. गाड़ी के आगमन के बाद रिसेप्शन सिगनल लीवर/नॉब को सामान्य नहीं किया जाएगा तथा पॉइंट्स में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा ब्लॉक सेक्शन को अंतिम मोटर ट्रॉली के आगमन तक क्लियरेन्स नहीं दिया जाना चाहिए.
9. गाड़ी सिगनल रजिस्टर (टीएसआर) में प्रविष्टि लाल स्याही से की जाए.
10. स्टेशन पहुंचने पर ट्रॉली का प्रभारी, टी.1525 को इस पृष्ठांकन के साथ टीएसआर में तारीख और समय के साथ हस्ताक्षर करते हुए प्राधिकार सौंपेगा कि अंतिम मोटर ट्रॉली पूर्ण रूप से आ चुकी है,
11. स्टेशन मास्टर पिछले ब्लॉक स्टेशन को अंतिम मोटर ट्रॉली के पूर्ण आगमन की सूचना प्राइवेट नंबर द्वारा सूचित करेगा.
12. सहा. नियम 15.26.2.1. के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सेक्शनों में मालगाड़ी के पीछे मोटर ट्रॉली की अनुमति नहीं है और इसे संबंधित स्टेशन संचालन नियमों में शामिल किया जाना चाहिए.

क्र.सं.	मंडल	ब्लॉक सेक्शन
I.	सिकंदराबाद	(1) विकाराबाद - रुक्मापुर, (2) सिरपुरकागज़नगर - माकुडी, (3) घाटनंदूर – पर्ली वैजनाथ, (4) हल्लिखेड (के) – कमलापुर.
II.	हैदराबाद	इंदलवाइ - उप्पलवाइ
III.	नांदेड	अंबारी - कोसाई
IV.	गुंतकल	(1) मामंडुरु – बालापल्ली, (2) बालापल्ली - सेट्टीगुंटा, (3) द्रोणाचलम - पण्यम.
V.	गुंटूर	गाजुलपल्ली – दिगुवमेट्टा.
VI.	विजयवाडा	(1) रापुर - चेरिलोपल्ली, (2) चेरिलोपल्ली - मंगमपेट.

***

प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**